अध्याय – प्रथम

शोध परिचय

सरल क्रामंक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	अध्ययन की पृष्ठभूमि	2
1.2	शोध कथन	5
1.3	अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण	5
1.4	अनुसंधान का महत्व एवं आवश्यकता	12
1.5	अनुसंधान (शोध) प्रश्न/उद्देश्य (Research Questions/Objectives)	12
1.6	अध्ययन की परिकल्पनाएं	13
1.7	अग्र अध्यायों का प्रारूप	13
1.8	सीमांकन	14

शोध परिचय

(1.1) <u>अध्ययन की पृष्ठभूमि</u> :-

यह एक निर्विवादित सत्य है की शिक्षा मानव के अस्तित्व के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करती है आत्मनिर्भर बनने का संबल प्रदान करती है. यह सतत प्रक्रिया ही व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक एवं सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है, उसकी वैयक्तियता का पूर्ण विकास करती है उसे वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है. मानव की जिज्ञासा और स्वाभाविक चिंतन धारा उसे सतत अन्वेक्षण के लिए प्रेरित करती है, सामंजस्य एवं अन्वेक्षण की प्रक्रिया में वह सतत सीखता है, सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करता है एवं विकास की धारा से निरंतर तादात्म्य बनाए रखता है वातावरणीय अनुकूलन से लेकर आत्माभिव्यक्ति तथा अनुभवों के पुनः अन्वेक्षण में शिक्षा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है.

"अपना ह्रदय शिक्षा की ओर, और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना"

- (नीतिवचन २३:१२) पवित्र बाइबल

अर्थात, व्यक्ति को सदैव अपने बहुमूल्य समय का उपयोग शिक्षा प्राप्ति में तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति में करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को एक योग्य इंसान एवं शिष्टाचारी बनाती है जो स्वयं का एवं समाज के अन्य लोगो का हितैषी होता है. "शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर मानव समाज को विकास के पथ पर सदैव अग्रसर करती है"

व्यक्ति अनुभवों को वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर तथा स्वयं के व्यक्तित्व में निहित गुणों के माध्यम से अर्जित करता है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का वातावरण की बाह्य शक्तियों के संपर्क से संतुलन स्थापित होता है इसी संतुलन का परिणाम सामंजस्य है अक्सर दैनिक एवं

व्यहवारिक जीवन में विद्यालयीन शिक्षा में प्रगति के बाद भी व्यक्ति जीवन की परिस्थतियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते उचित सामंजस्य की योग्यता प्रत्येक बौद्धिक धरातल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है शिक्षा में नवीन द्रष्टिकोण परंपरागत विषयों के मात्र ज्ञान पर बल नहीं देता वरन व्यक्ति की सुसामंजस्य कुशलता के विकास एवं व्यक्तित्व गुणों की परिपूर्णता के विकास पर बल देता है

शिक्षा को उदेश्यपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए उसमे समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है जिससे बालक एवं बालिकायें राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सकुशल निभा सकें गत वर्षों में शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास किये गए इन प्रयासों के फलस्वरूप भी शिक्षा के ढांचे में अधिक परिवर्तन न हो सका एवं शिक्षा का स्तर लगातार निम्नतम होता गया सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है की ६ से १४ वर्ष के लगभग ७० प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में जा रहें हैं जो ६ करोड़ विद्यालय नहीं जा रहें हैं उनमे साढ़े तीन करोड़ बालिकाएं एवं ढाई करोड़ बालक हैं विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चे मुख्य रूप से अनाथ, असहाय, गरीबी- रेखा के नीचें जीवनयापन करने वाले ,अल्पसंख्यक तथा जो आर्थिक -सामाजिक रूप से पिछड़ेपन् के कारण शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं

०

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वव्यापी मानव अधिकार अनुच्छेद 26 में दिसम्बर 1948 में यह ज्ञात कराया गया है ''विश्व के सभी नागरिक वे चाहे स्त्री हो, पुरूष हो, लड़का या लड़की सभी को किसी भी आयु में शिक्षा प्राप्त करने का आधारभूत अधिकार प्राप्त है''

भारतीय संविधान के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसका मतलब सबको समविष्ट करने से विकलांगता या अन्य किसी प्राकृतिक या मानवीय त्रुटियों के कारण जो समस्या सामने आती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। सभी शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए । बच्चे फेल नहीं होते वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते है

। मानव अधिकार सीखना है और मानवीय त्रुटियों पर विजय पानी है । हमें प्रावधान करना है अर्थात समाधान ढूंढना है बाधाएं नही गढ़ना है। शिक्षकों को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामंजस्य बिठाना है। भौतिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करना है। सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे :- स्कूल -समुदाय, स्कूल-शिक्षक की, शिक्षक-शिक्षक की बच्चों-बच्चों की शिक्षक-बच्चों की, शिक्षक-अभिभावक की स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता । शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार है।

(NCF) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है वह इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है । साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चें के लिए लाभदायक है । सहारा देने वाली सेवाएं आवश्यक सेवाएं है। यदि पढ़ाना चाहते है तो बच्चों से सीखें, उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचाने आपस में आदर भाव परस्पर निर्भरता बढ़ाएँ ।

हम जिस सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज में रह रहे है। उसके सदस्य होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जो लोग दुर्भाग्यतावश किन्हीं परिस्थितियों में फंस गये है। या समाज में हाशिए में पड़े हुए है। उनके स्तर को अच्छा बनाने के लिए, उन्नतिशील बनाने के लिए तथा समाज में समानता की स्थिति निर्मित करने के लिए हम अपना योगदान दें। ऐसे बच्चों को जो इन दयनीय स्थितियों में पड़े है । वे स्वयं को हीन समझते है । अनाथ होने के कारण ये अपने घर एवं माता पिता के अभाव में स्वयं को अन्य लोगो से भिन्न परिस्थिति में पाते है । ऐसे बच्चों की संख्या हजारों मे है । जो देश में भूखे है और बिना शिक्षा वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।

इन बच्चों की स्थितियों को सुधारने के लिए विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं सामने आई इन संस्थाओं में से एक है एस.ओ.एस. बालग्राम एक ऐसी नई संस्था है। जो बच्चों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा से सम्बंधित है यह संस्था एक अनूठा एवं सराहनीय विचार लेकर आगे आई है। जहां बच्चों को घर जैसा वातावरण मिलें।

एस.ओ.एस. बालग्राम ,जैसे कि उसके नाम का अर्थ है "Save our Soul" अर्थात् ''हमारी आत्मा को बचाने के लिए'' यह संस्था बिना लाभ प्राप्ति के स्थापित गैर सरकारी, स्वैच्छिक संस्था है, जो बच्चों की देखभाल की जरूरत को देखते हुए उनके लिए समर्पित है।

एस.ओ.एस. बालग्राम भारत में सन् 1964 में स्थापित हुआ । सबसे पहले एस.ओ. एस. बालग्राम ग्रीनफील्ड जो फरीदाबाद में स्थित है । स्थापित हुआ । वर्तमान में विश्व में अभी 316 एस.ओ.एस. बालग्राम व्याप्त है। जिसमें से 32 एस.ओ.एस. बालग्राम भारत में है । जो अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी संख्या में है।

जो एस.ओ.एस. बालग्राम भारत में है । उनका उद्देश्य निराश्रयी, अभावग्रस्त गरीब अनाथ बच्चों को एक परिवार जैसा वातावरण प्रदान करना। जहां वे स्थायी रूप से सुदृढ़ आधार के साथ स्वतंत्र रूप से सुरक्षित जीवन जी सके। जो विद्यार्थी उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाले होते है उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप दूसरे शहर के उत्कृष्ट विद्यालयों में पढाया जाता हैं

ताकि इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास हो सके

(1.2) शोध कथन:-

एस.ओ.एस. बालग्राम भोपाल में अध्ययनरत प्राथमिक शाला के छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों के आपसी समायोजन एवं शैक्षणिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

(1.3) अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण :-

शोधकर्ता यहाँ अध्ययन में सम्मिलित होने वाले सभी चरों को संक्रियात्मक ढंग से परिभाषित करता हैं इन परिभाषाओं से शोधकरता का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट होता है तथा शोध का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती हैं

(1) <u>एस.ओ.एस. विद्यालय</u> :-हरमन माइनर विद्यालय (एस.ओ.एस. विद्यालय) इस विद्यालय की विशेषता हैं की यह समावेशी शिक्षा पर आधारित है यह एक सहारा देने वाली संस्था है यहाँ सामान्य बच्चों के साथ-साथ बे-सहारा, गरीब, माता या पिता के आभाव में जी रहे बच्चों को भी समान रूप से बिना किसी भेद-भाव के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढाया जाता है तथा वैयक्तिक- विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी को विशेष महत्व देते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है

- संस्था के उद्देश्य: एस.ओ.एस. बालग्राम का संप्रत्यय डॉ. हरमन माइनर द्वारा प्रस्तुत एवं क्रियान्वित किया गया इस संस्था के कुछ उद्देश्य है जो निम्न प्रकार से है :

  <u>मदर</u> :प्रत्येक बच्चे की देखभाल के लिए होती है जो उनकी पालकगण के रूप में संबोधित की जाती है जिससे ममतामयी वातावरण निर्मित होता है.

  <u>भाई एवं बहने</u> :इस एस.ओ.एस. संस्था के प्रत्येक घर में लगभग ५ से १० तक बालक एवं बालिकायें निवास करती है जो आपस में एक दूसरे के भाई तथा बहन होते हैं.

  <u>घर</u> : प्रत्येक घर में उपस्थित मदर ,भाई तथा बहन मिलकर एक परिवार या घर का निर्माण करती है.

  <u>ग्राम</u> : यह एस.ओ.एस. परिवार की प्रत्येक इकाई मिलकर एक बाल-ग्राम का निर्माण करती है.

- भारत में संस्था का विस्तार (मेप द्वारा)
  - भारत में कुल ३९ बालग्राम क्रियान्वित हैं तथा इसी प्रकार १२२ इसी से जुड़े सामुदिक कार्यक्रम संचालित किय गए हैं.

- नवीन निर्माणाधीन बालग्राम श्रीनगर, बेगुसराई, पोंडिचेरी एवं नागपट्टनम में स्थापित किये जाने हैं.
- एस.ओ.एस.बाल-ग्राम की सह-सदस्य संस्थाएं जैसे : बीर, बैलाकुप्पे, धर्मशाला, गोपालपुर एवं लेह हैं .जो एस.ओ.एस.तिब्बत बाल-ग्राम के अंतर्गत आते हैं तथा एस.ओ.एस.बाल-ग्राम की सह-सदस्य संस्थाएं जैसे:देहरादून एवं मसूरी हैं जो तिब्बत होम-फाउन्डेशन के अंतर्गत आते हैं

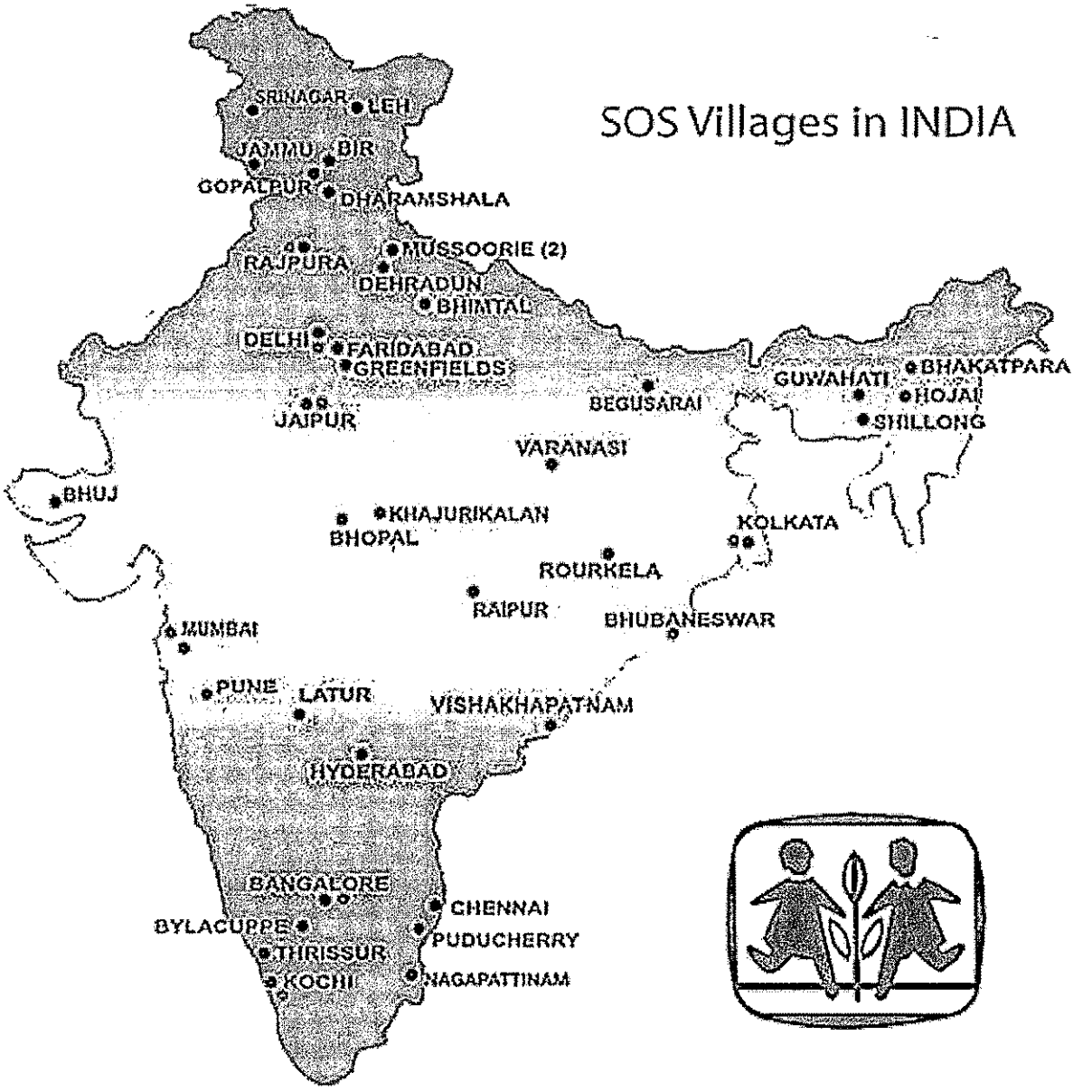

➢ मिशन वक्तव्य/ Mission Statement of SOS Villages

SOS Children's Villages is an international non-governmental social development organisation that has been active in the field of children's rights and committed to children's needs and concerns since 1949. In 132 countries and territories our activities focus on children without parental care and children of families in difficult circumstances.

SOS Children's Villages focuses on family-based, long-term care of children who can no longer grow up with their biological families. At our SOS Children's Villages and SOS Youth Facilities they experience reliable relationships and love once again, meaning that they can recover from what they have experienced, which has often been traumatic. They grow up in a stable family environment, and are supported individually until they become independent young adults.

We are extending our work with families through family strengthening programmes by working with and for disadvantaged families to prevent crises that can in the worst case scenario lead to children being placed in out-of-home care. SOS Children's Villages offers various forms of support to strengthen and stabilise families as much as possible so that they can once again manage their lives independently and care for their children. Our family strengthening programmes are an important way of building on the families' and communities' resources, their ability to self-organise themselves and their responsibility for the well-being of the children.

Equal rights to education and training for children are another important area of our work. Pre-school care for children, schooling and vocational training are the key to the future. To ensure that children enjoy these basic rights, SOS Children's Villages has kindergartens, day-care centres, schools and vocational training centres. Most of them are located outside Europe.

SOS Children's Villages is concerned about all children, particularly those who have no parental care and those whose families have to live in difficult conditions. The basis and aim of our work is to respect, promote and stand up for children's rights. We want to use our socio-political work to make decision makers and the public aware of the problems that children face and to call for measures that will promote the well-being of children across the world. In parallel to our lobbying activities, we encourage children to actively take part in the decision-making processes that affect their lives and, if possible, to actually represent themselves.

- SOS's philosophy :
  - **Patience:** *"Patience is the companion of wisdom"*
  - **Hope:** *"Hope is faith holding out its hand in the darkness"*
  - **Joy:** *"If the sight of the blue skies fills you with joy, if the simple thing of nature have amassege that you understand rejoice,for your soul is alive"*
  - **Harmony:** *"Harmony is when what you think what you say and what you do are is unison"*
  - **Trust:** *"To be trusted is a greater compliment than being loved"*
  - **Ditermination:** *"Remain steadfast determination can move mountains"*
  - **Love:** *"Love has no limits, everyone deserve love"*
  - **Kindness:** *"Being gentle & friendly to all is a mark of kindness"*
  - **Respect:** *"Every human being deserve respect we must respect others as we respect ourselves"*
  - **Shairing:** *"Shairing joys and sorrows is the key to happiness"*
  - **Dreams:** *"All of our dreams can come true"*
  - **Courage:** *"Courage the confidence to take on life's challenges with enthusiasm and zeal"*

➢ <u>एस.ओ.एस के संस्थापक:</u>

एस.ओ.एस. बालग्राम के संस्थापक डॉ. हरमन माइनर थे. जिनका जन्म एक बड़े कृषक परिवार में वोरार्ल्बर्ग (ऑस्ट्रिया) में हुआ था माइनर एक प्रतिभाशाली बालक थे जिन्होंने व्याकरण विद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की थी छोटी उम्र में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, बाद में इनकी परवरिश इनकी बड़ी बहन एल्सा ने की थी वे पेशे से एक सैनिक थे जब उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात मृतक सैनिकों के बच्चों कि दयनीय स्थति देखी जहाँ बच्चे अनाथ एवं बेसहारा हो गए थे तत्पश्चात उनके मस्तिष्क में ऐसी संस्था की स्थापना करने की सोची जहाँ इन बच्चों को घर जैसा वातावरण मिल सके उनके पास उस समय मात्र (ऑस्ट्रिया की 600 स्थानीय मुद्रा) अर्थात 40 US डालर थे. जिससे उन्होंने 1949 में एस.ओ.एस.बाल-ग्राम की स्थापना की थी.

➢ <u>एस.ओ.एस मुख्यालय:</u>

यह एक स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाली गैर-शासकीय अन्तराष्ट्रीय विकास संस्था हैं इसकी स्थपना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है.

(2) <u>एस.ओ.एस. (छात्रावासी-विद्यार्थी)</u> : इस संस्था के छात्रावास में इन बेसहारा बच्चों की परवरिश के साथ-साथ उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की जाती है तथा ऐसा माहौल प्रदान किया जाता है जिससे वे सामान्य बच्चों

के साथ समायोजन स्थापित करके एक आम जिंदगी जी सकें तथा आगे जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें इन एस.ओ.एस. परिवारों में उन्हें घर समान वातावरण तो मिलता ही है साथ ही साथ विद्यालय में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

(3) <u>गैर-छात्रावासी विद्यार्थी</u> : यह विद्यार्थी अपने माता-पिता भाई-बहनों के साथ परिवार में मिलने वाली सामान्य सुविधाओं (जैसे- आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, सुरक्षात्मक) की प्राप्ति के अनुरूप जीवन-यापन करती हैं तथा शिक्षा प्राप्त करने हेतु समीप के विद्यालय में जाते हैं

(4) <u>शैक्षिक उपलब्धि</u> : विद्यार्थियों शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा तीसरी का वार्षिक परीक्षाफल से प्रतिशत अंकों को लिया गया हैं.

(5) <u>समायोजन</u> : शोधकर्ता ने शोधकार्य में विद्यार्थियों के समायोजन मापन के लिए इस मापनी का उपयोग किया है. श्रीमती रागिनी दुबे ने इसका निर्माण किया है किशोर बालक /बालिका समायोजन मापनी में कुल मिलाकर 70 विधान दिए गए है उन विधानों के सामने (सही) का निशान लगाना है और असहमत के आगे भी (सही) का निशान लगाना हैं. इस मापनी में स्व समायोजन के 40 और समूह समायोजन के 40 विधान हैं इस मापनी को पूर्ण करने के लिए कोई समय मर्यादा नहीं हैं

(1.4) अनुसंधान का महत्व एवं आवश्यकता

(Justification/Need for the study)

एस.ओ.एस. बालग्राम भोपाल में स्थित प्राथमिक शाला के इन विद्यार्थियों का अध्ययन द्वारा हम इन अनाथ, गरीब बच्चों को जो इस छात्रावास में रह रहे हैं यहाँ उन्हें एक परिवार जैसा वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है तथा साथ ही साथ यहां पर स्कूल भी उपलब्ध है जहां इस छात्रावास के छात्र-छात्राएं तो पढ़ते ही है । साथ ही साथ सामान्य परिवारों से आने वाले गैर छात्रावासी विद्यार्थी भी यहां शिक्षा अर्जित करते है।

इस शोध में हम दोनो ओर के विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनका आपसी समायोजन एवं शैक्षणिक उपलब्धियों से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात कर सकते है, इन विद्यार्थियों में जो छात्रावास में रहकर उसी SOS बालग्राम में पढ़ते है उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों को जाना जा सकता है साथ ही साथ उनकी आंतरिक शक्तियों को भी पहचाना जा सकता है तथा यहां विभिन्न शिक्षाप्रद कार्यशालाओं (Seminar) को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा इनमें परस्पर समायोजन अच्छे ढंग से स्थापित हो ऐसा प्रयास किया जा सकता है।

(1.5) अनुसंधान (शोध) प्रश्न/उद्देश्य (Research Questions/Objectives)

एस.ओ.एस. बालग्राम भोपाल में स्थित प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में विषय पर शोधकार्य के जो उद्देश्य है इन्हें निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

1- एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर छात्रवासी विद्यार्थियों का आपसी समायोजन एवं उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन।
2- एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर छात्रवासी विद्यार्थियों के परस्पर समायोजन का अध्ययन करना।
3- एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन।
4- एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर छात्रवासी विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों की शैक्षणिक उपलब्धियों का अध्ययन करना।

(1.6) अध्ययन की परिकल्पनाएं :-

1. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं
2. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर छात्रवासी विद्यार्थियों की हिंदी विषय की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं
3. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी एवं गैर छात्रवासी विद्यार्थियों की अंग्रेजी विषय की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं हैं
4. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं हैं
5. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के समायोजन एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सम्बन्ध नहीं हैं.
6. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों के समायोजन एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सम्बन्ध नहीं हैं.
7. एस.ओ.एस. बालग्राम प्राथमिक शाला के छात्रवासी विद्यार्थियों के समायोजन एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सम्बन्ध नहीं हैं.

(1.7) <u>अग्र अध्यायों का प्रारूप :-</u>

1. द्वितीय अध्याय में शोध कथन से सम्बंधित साहित्य का पुनरावलोकन निहित हैं.
2. तृतीय अध्याय में शोध कथन से सम्बंधित प्रयुक्त शोध प्राविधि की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई हैं.
3. चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों के विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या का वर्णन किया गया हैं.
4. पंचम अध्याय में संक्षेपिका ,निष्कर्ष, भावी शोध हेतु सुझाव को वर्णित किया गया हैं.

(1.8) सीमांकन :-

प्रस्तुत शोध की निम्न लिखित सीमाएँ हैं

1. प्रस्तुत अध्ययन में एस.ओ.एस. बालग्राम के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा समायोजन का ही अध्ययन किया गया है.
2. प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि के लिए स्वतंत्र उपकरण की निर्मिति नहीं की गई हैं.
3. इस शोध में एस.ओ.एस. बालग्राम के हरमन माइनर विद्यालय के चौथी कक्षा के छात्रावासी एवं गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को ही अध्ययन में शामिल किया गया है.